

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आ.जां / 2019 / 1475

दिनांक: 04/07/19

-:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:-

कार्यालय के आदेश क्रमांक 1174-87 दिनांक 24.06.2019 से जारी आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

क्र० सं०	अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आन्तरिक अंकेक्षण अवधि	आदेशित कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम
1	श्री राजेन्द्र कुमार पुरोहित, AAOI दल सदस्य मो० न० 9784781258 श्री संजय कुमार मेघवाल, क० ले० जोन-बीकानेर द्वितीय	सामु स्वा. केन्द्र, रावलामण्डी, श्रीगंगानगर	प्रारम्भ से 03/19	02.07.19 से 17.07.19	02.07.19 से 05.07.19
		सामु० स्वा० केन्द्र, रिडमलसर, श्रीगंगानगर	04/13से 03/19	06.07.19 से 17.07.19	-

अत निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(10) वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित कर जांच रिपोर्ट निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायेंगे।


  
5/7/19

वित्तीय सलाहकार,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक:

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आ.जां का / 2019 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-बीकानेर।
4. श्री राजेन्द्र कुमार पुरोहित, AAOI, दल सदस्य श्री संजय कुमार मेघवाल, कनिष्ठ लेखाकार, जोन-बीकानेर को पालनार्थ प्रस्तुत है।
5. प्रभारी, चि० अधि० सामु० स्वा० केन्द्र, रावलामण्डी/रिडमलसर (श्रीगंगानगर)।
4. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।

  
5/7/19

वित्तीय सलाहकार,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर